



Neutral Citation No. - 2026:AHC:168055

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 2839 वर्ष 2026

एक्स किशोर

.....पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी पक्षकार(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) की ओर से अधिवक्ता : आलोक कुमार सिंह

विपक्षी पक्षकार(गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चन्द्र शर्मा

कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, सूचनाकर्ता को नोटिस तामील कराया जा चुका है, किंतु राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को छोड़कर उसकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणवादी द्वारा अपनी माता के माध्यम से इस प्रार्थना के साथ तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस पुनरीक्षण को स्वीकार किया जाए तथा विद्वान किशोर न्यायालय/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), न्यायालय संख्या 3, गाजियाबाद द्वारा आपराधिक अपील संख्या 40, 2026 में पारित दिनांक 03.04.2026 के निर्णय एवं आदेश तथा किशोर न्याय बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा पारित दिनांक 13.02.2026 के आदेश को अपास्त किया जाए। आगे पुनरीक्षणवादी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



को मुकदमा अपराध संख्या 14, 2025, अन्तर्गत धारा 137(2), 65(1), 115(2) बी.एन.एस. एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4, थाना अंकुर विहार, जनपद गाजियाबाद से उद्भूत वाद में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस वाद में अपचारी की आयु लगभग 17 वर्ष थी। वह आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि पीड़िता के अपने घर से लापता होने के कारण अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बाद में वह अपने घर वापस आ गई और इस संबंध में स्वयं सूचनाकर्ता द्वारा पुलिस को सूचना दी गई तथा यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि वह अपने गंतव्य के बारे में बताए बिना चली गई थी। इससे यह प्रदर्शित होता है कि पीड़िता स्वयं अपने घर से चली गई थी और उसके बाद दो दिन पश्चात् पुनः वापस आ गई तथा पुनरीक्षणवादी द्वारा उसके साथ कोई अपराध नहीं किया गया था। वह यह भी प्रस्तुत करते हैं कि पीड़िता का बयान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें उसने झूठा बयान दिया कि उसे एक कमरे में बांधकर रखा गया था और वह वहाँ एक माह तक रही, तत्पश्चात् वह एक माह तक हरदोई में रही और उसके बाद दिल्ली में रही तथा फिर अपने घर वापस आ गई, किंतु उसने वर्तमान पुनरीक्षणवादी द्वारा बलात्कार किए जाने और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए जाने के संबंध में कोई बयान नहीं दिया। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अपचारी के हित के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल नहीं है।

आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों पर किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया गया था, यहाँ तक कि परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी विचार नहीं किया गया। अपीलीय न्यायालय ने भी इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया, बल्कि अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना तथा उक्त अधिनियम की धारा 12 में निहित विधि पर विचार किए बिना अपील को निरस्त कर दिया। वह दिनांक 17.11.2025 से बाल देखरेख गृह में है और उसका मनोविज्ञान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है, अतः किशोर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



न्याय बोर्ड तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करने तथा आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपर्युक्त प्रार्थना का विरोध किया।

वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख के परिशीलन, प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु, पीड़िता के वापस आने के संबंध में सूचनाकर्ता द्वारा पुलिस को दी गई रिपोर्ट, पीड़िता के स्वयं के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत दिए गए बयान, अर्थात् दिनांक 17.11.2025 से पर्यवेक्षण गृह में निरुद्ध रहने की अवधि, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों तथा परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि किशोर न्याय बोर्ड तथा अपीलीय न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर समुचित रूप से विचार नहीं किया, बल्कि अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना आदेश पारित कर दिए। इस प्रकार, वर्तमान पुनरीक्षण में आधार प्रतीत होता है और किशोर न्याय बोर्ड तथा विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।

तदनुसार, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिनांक 13.02.2026 तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 03.04.2026 को पारित आदेशों को एतद्वारा अपास्त किया जाता है और वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण एतद्वारा **स्वीकार** किया जाता है।

यह निर्देशित किया जाता है कि अपचारी/आवेदक को पुनरीक्षणवादी (अपचारी की माता) द्वारा व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत किए जाने पर, संबंधित किशोर न्याय बोर्ड की संतुष्टि के लिए, निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) पुनरीक्षणवादी/माता इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेंगी कि जमानत पर रिहा होने के पश्चात् पुनरीक्षणवादी को किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क या संगति में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अथवा उसे किसी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में नहीं आने दिया जाएगा और आगे माता यह सुनिश्चित करेंगी कि किशोर द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी।

(ii) पुनरीक्षणवादी/माता इस आशय का एक और वचनपत्र प्रस्तुत करेंगी कि किशोर उचित स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखेगा, जिसके लिए उसे प्रोत्साहित किया जाएगा तथा अन्य रचनात्मक गतिविधियों के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा और उसे अनुत्पादक तथा अत्यधिक मनोरंजक गतिविधियों में अपना समय व्यर्थ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) किशोर तथा पुनरीक्षणवादी/माता प्रत्येक कैलेंडर माह के प्रथम सोमवार को परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर रिपोर्ट करेंगे।

(iv) परिवीक्षा अधिकारी किशोर की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेंगे और नियमित रूप से उसकी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसे संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को ऐसी आवधिक आधार पर तर्क प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि किशोर न्याय बोर्ड निर्धारित करे।

11 अगस्त, 2026

सूरज श्रीवास्तव

(न्यायमूर्ति सुभाष चन्द्र शर्मा)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”